निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 43/2025
दायरा दिनांकः–04.06.2025
निर्णय दिनांकः– 16.9.25

उनवान

1. कमला बाई आयु 70 वर्ष पत्नि भोलाराम जाति मीना निवासी ग्राम गोड्यिामेहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 16.9.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री देवेन्द्र कुमार मेहता – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया काश्तकार महिला है, जिसकी शामलाती कृषि भूमि ग्राम गोडियामेहर पटवार हल्का गोडियामेहर तहसील छबड़ा में खाता संख्या नया 180 पुराना 171 खसरा नंबर 148 रकबा 0.1265 खसरा नंबर 179 रकबा 0.0759 खसरा नंबर 189 रकबा 0.0253 खसरा नंबर 190 रकबा 0.0379 खसरा नंबर 194 रकबा 0.0379 खसरा नंबर 22/1030 रकबा 0.1897 खसरा नंबर 24 रकबा 0.0126 खसरा नंबर 25/1 रकबा 0.2908 खसरा नंबर 252 रकबा 0.2908 खसरा नंबर 26 रकबा 0.3288 खसरा नंबर 27 रकबा 0.0126 खसरा नंबर 276 रकबा 2.2508 खसरा नंबर 28 रकबा 0.1770 खसरा नंबर 282/1 रकबा 0.2529 खसरा नंबर 295 रकबा 1.8715 खसरा नंबर 462 रकबा 0.0379 खसरा नंबर 463 रकबा 0.4426 खसरा नंबर 702 रकबा 1.2519 खसरा नंबर 804 रकबा 0.9357 कुल खसरा 19 कुल रकबा 8.6491 है। जिसमे प्रार्थीया का नाम कजला बाई पत्नि भोलाराम जाति मीना हिस्सा 1/7 दर्ज जमाबंदी है, इसी प्रकार ग्राम गोडियामेहर पटवार हल्का गोडियामेहर तहसील छबड़ा में खाता संख्या नया 17 पुराना 16 खसरा नंबर 23 रकबा 0.1644 जिसमे प्रार्थीया का सही नाम कमला बाई पत्नि भोलाराम जाति मीना दर्ज है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीया काबिज काश्त है। उक्त आराजी में बतौर काश्तकार के नाम इन्तकाल मे दर्ज करते समय सहवन से ग्राम गोडियामेहर तहसील छबड़ा की खाता संख्या नया 180 पुराना 171 की जमाबंदी में प्रार्थीया का अशुद्ध नाम अंकन की गलती से कजला बाई दर्ज हो गया है, उक्त नाम दुरूस्त कराना अति आवश्यक है प्रार्थीया सही व वास्तविक नान कमला बाई दर्ज कराना अति का आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 15/02/2025 को उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

...ा प्रार्थीया जब किसान केडिड कार्ड के लिए नकल निकला कर बैंक मैनेजर साहब के पास गयी तब जानकारी होने पर मालूम हुआ ओर प्रार्थीया स्वंय का अपने स्व० पति का सही व वास्तविक नाम रेकार्ड मे दुरूस्त कराने बाबत कही बार राजस्व कर्मचारीयो से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा असमर्थता बताई गई। प्रार्थीया अपने आधार कार्ड, जनआधार व राशनकार्ड व प्रमाण पत्र व बैंक डायरी व अन्य दस्तावेज भी प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है। कमला बाई पत्नि स्व० भोलाराम जति मीना निवासी ग्राम गोडियामेहर प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड में उक्त सही व वास्तविक नाम दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्यें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त जो शा.मि0 है प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 180 प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 17 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, नकल नामान्तरण संख्या 1214 दिनांक 24.11.2021 प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गोडियामेहर पेश की, गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का नाम कजला बाई पत्नि भोलाराम जाति मीना हिस्सा 1/7 दर्ज है इसी प्रकार ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा में खाता संख्या 17 में प्रार्थीया का सही नाम कमला बाई पत्नि भोलाराम जाति मीना दर्ज है उक्त आराजी में बतौर काश्तकार के नाम इन्तकाल दर्ज करतें समय सहवन से ग्राम गोडियामेहर की भूमि खाता संख्या 180 में प्रार्थीया का नाम कजला बाई दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम कमला बाई है प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात मं सही नाम कमलाबाई पत्नि स्व0 भोलाराम जाति मीना निवासी गोडियामेहर है प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज करवाने की अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम कजला बाई के स्थान पर कमलाबाई दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम गोडियामेहर की वर्तमान जमाबन्दी भूमि खाता संख्या 180 कुल किता 19 रकबा 8.6491 है0 में कजला बाई पत्नि स्व0 भोलाराम हिस्सा 1/7 जाति मीना सा0देह दर्ज है वादिया का नाम कजला बाई नामान्तरण संख्या 1214 दिनांक 24.11.2021 से विरासत के नामान्तरण से दर्ज हुआ है तब से लेकर आदिनांक तक जमाबन्दी में नाम कजला बाई पत्नि स्व0 भोलाराम दर्ज चला आ रहा है। वादिया का नाम कंजला बाई जर्ये विरासत नामान्तरण 1214 दिनांक 24.11.2021 से दर्ज हुआ जो कि सहवन से हुई गलती से दर्ज हुआ है। वादिया द्वारा दिनांक 24.11.2021 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दिनांक 10.09.2021 प्रस्तुत शपथ पत्र में कमला बाई पत्नि भोलाराम लिखा हुआ है वादिया के समस्त दस्तावेज में नाम कमलाबाई पत्नि भोलाराम दर्ज है खाता संख्या 180 के सह खातेदारान एवं मौके पर उपस्थित लोगो से जानकारी पर भी पाया गया कि गांव में कंजला बाई पत्नि भोलाराम नाम से कोई व्यक्ति नही है एवं उक्त खाता संख्या में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

जला बाई का नाम वास्तव में कमला बाई है जमाबन्दी में नाम दुरूस्त कर कंजला बाई के स्थान पर कमला बाई दर्ज करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 180 में कंजलाबाई पत्नि स्व0 भोलाराम हिस्सा 1/7 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 17 में कमला बाई पत्नि भोलाराम जाति मीना दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, में कमला बाई पत्नि भोलाराम दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 1214 दिनांक 24.11.2021 भोलाराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया। जिसमें प्रार्थीया का नाम कंजला बाई दर्ज है सरपंच ग्राम पंयायत गोडियामेहर के द्वारा दिनांक 02.06.2025 को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीया का सही नाम कमला बाई होना बताया है प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का सही नाम कमला बाई है। प्रार्थीया का खाता संख्या 180 में गलत नाम कंजला बाई दर्ज है जो मृतक भोलाराम के फोती नामान्तरण खोलते समय गलत दर्ज किया है प्रार्थीया की अन्य जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीया का सही नाम कमला बाई दर्ज है तहसीलदार छबडा ने भी रिपोर्ट में कंजलाबाई के स्थान पर कमला बाई दुरूस्त करने की अनुशंषा की है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा के खाता संख्या 180 के कुल खसरा नम्बर 19 किता रकबा रकबा 8.6491 है0 में प्रार्थीया का नाम कंजला बाई पत्नि भोलाराम के स्थान पर कमला बाई पत्नि भोलाराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा